स्पीडपोस्ट
बजट आवंटन वर्ष 2007–08

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर, पीलीभीत, खीरी, रायबरेली, इलाहाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महराजगंज, मीरजापुर।

पत्रांकः जी0ओ0–29/कार्य0/पेयजल/2007–08 दिनांकः 31,मार्च , 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में ग्रामीण पेयजल योजना (जनजाति के लिये जलापूर्ति कार्यक्रम) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–242 अ/26–ब0प्र0 –2008–2बजट/2007टी0सी0–2 दिनांक 31–3–2008 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 150.00 (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है। इस धनराशि में से रू0 125.95 लाख (रू0 एक करोड पचानवें लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपको आवंटित की जाती है।

क्रम सं0	जनपद का नाम	आवटित धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3
1	बिजनौर	3.07
2	पीलीभीत	2.70
3	खीरी	58.23
4	रायबरेली	2.75
5	इलाहाबाद	6.08
6	बहराइच	9.04
7	श्रावस्ती	7.73
8	बलरामपुर	30.25
9	महराजगंत	4.03
10	मीरजापुर	2.07
	योग	125.95

(रू0 एक करोड पचानवें लाख मात्र)

3– उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–81 के लेखाशीर्षक –2215–जलापूर्ति तथा सफाई–आयोजनागत–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यकम–03–अन्य ग्रामीण जलापूति कार्यक्रम–01–जनजातियों के जलापूर्ति कार्यक्रम–20–सहायक अनुदान/अंशदान–राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

4– जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय शासनादेश सख्या–242 अ/26–ब0प्र0 –2008–2बजट/2007टी0सी0–2 दिनांक 31–3–2008 में अंकित प्रतिबन्धों क्रमांक 1 से 6 तक तथा योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय निर्गत दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये करें एवं आहरित धनराशि की सूचना कोषागार बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– उक्त आवंटन केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–114 पर अंकित कर दिया गया है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Manoj 31.3.08
(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
0102

पत्रांकः /कार्य0/पेयजल/2007–08 दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— महालेखाकार (लेखा—परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3— सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4— सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5— सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6— प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।

7— प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8— नियोजन अनुभाग—3/ग्राम्य विकास अनुभाग—3 ।

9— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/वित्त (आय—व्ययक) अनु0—2 ।

10— संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण को उनके आंबटन आदेश सं0 242 अ/26—ब0प्र0 —2008—2बजट/2007टी0सी0—2 दिनांक 31—3—2008 के संदर्भ में।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

0102

संख्या- 2423/26-ब0प्र0-2008-2(बजट)/2007टीसी-2

प्रेषक,

राम गणेश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 31 मार्च, 2008

विषयः- वर्ष 2007-08 में ग्रामीण पेयजल योजना (जनजाति के लिए जलापूर्ति कार्यक्रम) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या174/26-ब0प्र0-2007 दिनांक 14.6.2007 एवं शासनादेश संख्या-434/26-ब0प्र0-2007, दिनांक 14.6.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु रू0 50,00,000.00 (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है । उक्त के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या-12/पी-1/बजट/2007-08/11, दिनांक 08.2.2008 द्वारा योजनान्तर्गत रू0 1,50,00,000.00 में से धनराशि रू0 1,25,95,000.00 का जनपदवार फॉट निर्माण कार्यो हेतु एवं धनराशि रू0 24,05,000/- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्यो में व्यय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । उक्त धनराशि रू0 1,50,00,000/- आपके निस्तारण पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग के समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 13.3.2008 से प्रभावी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो ।

2- उक्त स्वीकृति राज्य योजना आयोग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-10/7/35-आ0-2/97-113, दिनांक 09.07.07 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किया जा रहा है ।

3- ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यो हेतु मात्राकृत धनराशि रू0 1,25,95,000/- शासनादेश के साथ संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख कालम-9 में अंकित जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय की जायेगी ।

4- निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-174/26-ब0प्र0-2007-2(बजट)/2007 टी0सी0-2 दिनांक 14.6.2007 में उल्लिखित सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के क्रम में सुनिश्चित किया जाय ।

5- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि रू0 24,05,000/- उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध कराया जायेगा । इस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-275-स/26-ब0प्र0-06-2(बजट)/2006 दिनांक 15.4.2006 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इस धनराशि का व्यय ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर ही किया जाय, जिन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण का दायित्व पंचायतों का है, उस पर इस धनराशि का व्यय न किया जाय।

6- शासनादेश दिनांक 9 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 8 मई, 2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलग्ध करायी जाय ।

....2/-

2- उक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-03-अन्य ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-01-जनजातियों के लिए जलापूर्ति कार्यक्रम-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता " के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-656(1)/दस-2008 दिनांक 13.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है ।

संलग्नकः: यथोक्त ।

भवदीय,

(राम गणेश)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2008-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 लखनऊ ।
6- महाप्रबन्धक, चित्रकूट धाम मण्डली जल संस्थान, बांदा ।
7- महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी ।
8- नियोजन अनुभाग-3/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2
9- कम्प्यूटर/गार्डफाइल/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव ।

शासनादेश सं० 2427/26-ग्रा०वि०-07, दि० 31 मार्च, 2008 का संलग्नक।

ीण जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण योजना - ट्रायबल सबप्लान (टी.एस.पी.)

वर्ष 2007-08 रु० लाख में

क्रम	जनपद/ म०	अनुमोदित परिव्यय		स्वीकृत बजट की फांट		स्वीकृत प्रथम किश्त	स्वीकृत बजट के सापेक्ष अवशेष	वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि
		कुल	निर्माण/ अनुरक्षण हेतु	कुल	निर्माण/ अनुरक्षण हेतु	14/09/2007	(6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिजनौर	6.06	5.15	4.62	3.93	0.86	3.07	3.07
	मुरादाबाद मंडल	**6.06**	**5.15**	**4.62**	**3.93**	**0.86**	**3.07**	**3.07**
2	पीलीभीत	4.17	3.54	3.18	2.70		2.70	2.70
	बरेली मंडल	**4.17**	**3.54**	**3.18**	**2.70**	**0.00**	**2.70**	**2.70**
3	खीरी	94.80	80.58	72.26	61.43	3.20	58.23	58.23
4	रायबरेली	4.25	3.61	3.24	2.75		2.75	2.75
	लखनऊ मंडल	**99.05**	**84.19**	**75.50**	**64.18**	**3.20**	**60.98**	**60.98**
5	इलाहाबाद	9.38	7.97	7.15	6.08		6.08	6.08
	इलाहाबाद मंडल	**9.38**	**7.97**	**7.15**	**6.08**	**0.00**	**6.08**	**6.08**
6	बहराइच	21.57	18.33	16.44	13.97	4.93	9.04	9.04
7	श्रावस्ती	11.99	10.19	9.14	7.77	0.04	7.73	7.73
8	बलरामपुर	48.68	41.38	37.11	31.54	1.29	30.25	30.25
	देवी पाटन मंडल	**82.24**	**69.90**	**62.69**	**53.28**	**6.26**	**47.02**	**47.02**
9	महाराजगंज	6.22	5.29	4.74	4.03		4.03	4.03
	गोरखपुर	**6.22**	**5.29**	**4.74**	**4.03**	**0.00**	**4.03**	**4.03**
10	मिर्जापुर	3.20	2.72	2.44	2.07		2.07	2.07
11	सोनभद्र	39.68	33.74	39.68	33.73	39.68		0.00
	मिर्जापुर मंडल	**42.88**	**36.46**	**42.12**	**35.80**	**39.68**	**2.07**	**2.07**
	योग	**250.00**	**212.50**	**200.00**	**170.00**	**50.00**	**125.95**	**125.95**
	अनुरक्षण कार्य हेतु		37.50		30.00		24.05	24.05
	कुल योग	**250.00**	**250.00**	**200.00**	**200.00**	**50.00**	**150.00**	**150.00**

(रू० एक करोड़ पचास लाख मात्र)

(आर० डी० कमाल)
अनु सचिव।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०